अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–841 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 29.07.2026

1. अनिल कुमार पोद्दार पुत्र राजगीर पोद्दार
2. अंजु देवी पत्नी अनिल कुमार पोद्दार.....आवेदकगण

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदकगण की ओर से : श्री सुबोध कुमार, विद्वान अधिवक्ता
सूचिका की ओर से : श्री सीताराम झा, विद्वान अधिवक्ता
विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

29-07-2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक / अभियुक्त **1. अनिल कुमार पोद्दार 2. अंजु देवी** की तरफ से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत महिला थाना कांड सं0 177 / 25 अन्तर्गत धारा 85,89, 115(2),352,3(5) बी.एन.एस. एवं ¾ डी.पी. एक्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

2. आवेदक / अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता, सूचिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. सूचिका का वाद सारांश यह है कि टंकित आवेदन के अनुसार उसकी की शादी दिनांक 05.11.2023 को अभिषेक कुमार पोद्दार के साथ हुई। शादी के बाद ससुराल गई फिर वह गर्भवती हो गयई। इस बात की जानकारी मिलने पर अभिषेक कुमार पोद्दार पति, अनिल कुमार पोद्दार ससुर, अंजु देवी सास, शालु पोद्दार, मीरा कुमारी, रेशमी कुमारी तीनों ननद के द्वारा गाली गलौज, मारपीट एवं प्रताड़ित करने लगे तथा दहेज में दस लाख रुपया अपने पिता से मांग कर लाने के लिए कहने लगे। असमर्थता व्यक्त करने सभी मिलकर काफी मारपीट किए जिससे उसका गर्भपात दिनांक 20.06.2025 को करवा दिया। दिनांक 06.07.2025 को उसके पिता द्वारा दिये गये सामान को छीनकर घर से निकाल दिया।

4. आवेदक / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा कोई भी अग्रिम जमानत अथवा जमानत आवेदन कहीं दाखिल नहीं किया गया है और ना ही खारिज किया गया है तथा ना ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप झूठा एवं आधारहीन है। आवेदकगण पर अवैध दबाव डालने के लिए उन्होंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आवेदकगण के पुत्र अभिषेक कुमार ने सूचिका के साथ विवाह नहीं किया गया। सूचिका के पिता आवेदकगण के दूर के रिश्तेदार है। आवेदकगण ने अपनी बेटी के विवाह में सूचिका के पिता से मैत्रीपूर्ण ऋण लिया था। आवेदक सं0 1 सरकारी स्कूल में शिक्षक है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा लगाये गये शर्तो को पालन करने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा खारिज

करने का अनुरोध किया गया।

6. उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का आलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस कांड में धारा 85,89, 115(2),352,3(5) बी.एन.एस. एवं ¾ डी.पी. एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 2 में वादिनी का पुनःबयान, कंडिका 3 में साक्षी विभा पौद्दार, कंडिका 4 में साक्षी गंगा प्रसाद पौद्दार, कंडिका 5 में सोनी कुमारी का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया है। यह मामला पति पत्नी के बीच विवाद का है। सूचिका को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया जिसपर सूचिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। आवेदकगण सूचिका का सास ससुर है। कंडिका 17 के अनुसार प्रेम प्रसंग में शादी हुआ था। अल्ट्रासाउण्ड वाले के अनुसार गर्भपात की जानकारी नहीं है। गर्भधारण एवं गर्भपात का कोई स्पष्ट प्राथमिक दस्तावेज नहीं है। आवेदकगण का कहना है कि उनका पुत्र प्रेम विवाह किया है एवं पुत्र यदि बहु को रखता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वेलोग सहयोग करेंगे एवं वर्तमान में बहु के पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए 2,00,000/–रु0 देने को तैयार है। इस कांड में अभी भी अनुसंधान जारी है। कंडिका 62 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त **1. अनिल कुमार पौद्दार 2. अंजु देवी** को धारा–482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में **10,000/–** रू0 (दस हजार रूपये) की राशि का दो प्रतिभू के साथ बंधपत्र देने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि– (i) एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा, (i) आवेदकगण इस आशय का अंडरटेंकिग दाखिल करेंगे कि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेगे।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित
ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	29-07-2026
Date of Reserving Judgment/Order	29-07-2026
Uploading Date	03-08-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)